पत्रिका

राजस्थान के अजमेर में बड़ी कार्रवाई, नकली खाद बनाने वाली 13 फैक्ट्रियों के लाइसेंस निलंबित

जयपुर: अजमेर जिले के किशनगढ़ में खाद बनाने वाली 13 फैक्ट्रियों और फर्मों के लाइसेंस 14 दिन के लिए निलंबित किए गए हैं। इन फर्मों में बनने वाली खाद के नमूनों की रिपोर्ट अमानक प्राप्त हुई है।

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक (आदान) नवल किशोर मीना ने बताया कि खाद के नमूने फेल आने पर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीना के निर्देशानुसार किशनगढ़ के उदयपुर कलां स्थित श्री गोवर्धन एग्रो, भूमि एग्रो इंडस्ट्रीज, राघव एग्रो इण्डस्ट्रीज, मंगलदीप बायो फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स टीकावड़ा, अतिशय बायोटेक पाटन और ट्रॉपीकल एग्रो सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तिलोनिया के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।

वहीं, दिव्या एग्रोफर्ट इण्डस्ट्रीज नलू, ग्रीन एग्रो इण्डस्ट्रीज बांदरसिंदरी, शम्भू बायो फर्टिलाइजर चौसला, श्री एग्रो अल्मास इंदोली, राधिका एग्रो इण्डर्स्ट्रीज डींडवाड़ा, एक्वा एग्री प्रोसेसिंग पाटन और श्रीनाथ एग्रो इण्डस्ट्रीज टीकावड़ा के लाइसेंस निलंबित किए हैं।

Source: https://www.patrika.com/ajmer-news/rajasthan-ajmer-kishangarh-major-action-licenses-of-13-fake-fertilizer-manufacturing-units-suspended-19700076